



पत्र क्रमांक : BL/BSR/24/150

दिनांक : 10-2-24

प्रति,

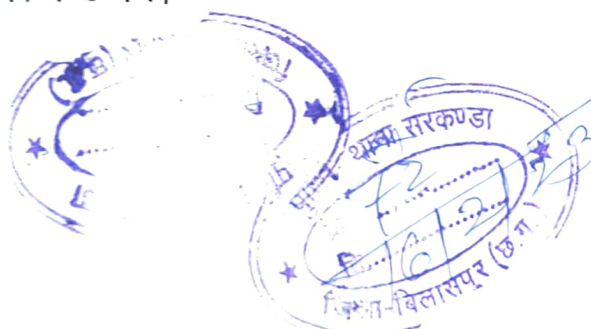
श्रीमान् थाना प्रभारी,
पुलिस थाना - सरकंडा,
बिलासपुर (छ.ग.)

विषय :- कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा विगत दिनांक 08/02/2024 को रायगढ़ में सार्वजनिक सभा में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध जातिगत टिप्पणी करने, भ्रामक एवं असत्य अनर्गल उद्बोधन करने एवं सामाजिक तथा राजनीतिक, सामाजिक तथा सौहार्द्र को बिगाड़ने के उद्देश्य से किए गए अपराधिक कृत्य का संज्ञान लेकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने बाबत।

— 00 —

विगत दिनांक 08/02/2024 को कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी के द्वारा सार्वजनिक सभा में माननीय प्रधानमंत्री जी, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के विरुद्ध जातिगत टिप्पणी की गई है और उनकी जाति के संबंध में भ्रम उत्पन्न करने के लिए अनर्गल भ्रामक एवं पूर्णतया असत्य कथन कहा गया है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा सार्वजनिक रूप से विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के संबंध में यह कहा गया है, कि वह हिंसा और नफरत की राजनीति करती है। राहुल गांधी के द्वारा विशेष उद्देश्य से प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध अनर्गल मानहानि करके बयान देने की अतिरिक्त समाज में वैमनश्य उत्पन्न करने एवं सामाजिक ताने-बाने को छिन्न-भिन्न करने के उद्देश्य से ऐसा अपराधिक कृत किया गया है, जो कि भारतीय दंड विधान की धारा 153ए, 295, 500 एवं 501 के तहत यथा परिभाषित दंडनीय कृति की श्रेणी में आने वाला अपराधिक कृत्य है।

इस हेतु श्री राहुल गांधी, पता- 12 तुगलग लेन, नई दिल्ली -110011 के विरुद्ध आप अभिलंब उपरोक्त धाराओं के अतिरिक्त अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करने का कष्ट करें।



सुशांत शुक्ला